

28/10/21

Form No-111

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम सरकार

क्रिया मुकदमा 136 एल आर एचट

नम्बर 167 सन 2021

जी सी.एम.एस. आईडी 2021 /

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए

तारीख हुकम		
28/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ. / नायब तहसीलदार <u>श्रीमती चिदंबर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक / भू.अ. / प्र.गां.सं.अ. / 2021 / 332-402 दिनांक <u>28/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>श्रीमती चिदंबर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>3 P P B</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2025-2078</u> के खाता सं <u>62</u> में <u>श्रीमती चिदंबर</u></p>	
	<p>के स्थान पर <u>P M B शाखा श्रीमती चिदंबर</u></p>	
	<p>की दुरुस्ती करने की अनुशंघा की है। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में जमाबंदी नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किराई व्ययित द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार / नायब तहसीलदार <u>श्रीमती चिदंबर</u> रायसिंहनगर की अनुशंघा के आधार पर चक <u>3 P P B</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2025-2078</u> के खाता सं <u>62</u> में <u>श्रीमती चिदंबर</u> <u>श्रीमती चिदंबर</u></p>	
	<p>के स्थान पर <u>P M B शाखा श्रीमती चिदंबर</u></p>	
	<p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	
	<p><u>श्रीमती चिदंबर</u> (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	

